बिहार सरकार
जल संसाधन (सिं0)विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 13.7.2010

अ0सं0–21/वाद 8–1 /2006 ....316..../ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल संसाधन विभाग के नहर चाट/भूमि की, कृषि प्रयोजनों के उपयोग के लिए बन्दोवस्ती हेतु प्रावधान करने के लिए राज्य सरकार, बिहार निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

बिहार नहर चाट/भूमि बन्दोवस्ती नियमावली–2010

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ – (1) यह नियमावली बिहार नहर चाट/भूमि बन्दोवस्ती नियमावली 2010 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **बन्दोवस्ती की प्रक्रिया –**

(क) नहर चाट/भूमि की बंदोवस्ती तीन वर्षो के लिए विभाग द्वारा नियत दर पर इस प्रयोजनार्थ सम्यक् रूप से गठित समिति द्वारा लॉटरी के आधार पर की जायेगी।

(ख) लॉटरी समिति के सदस्य निम्नवत् होंगे :–

संबंधित विभागीय कार्यपालक अभियंता	– अध्यक्ष
क्षेत्रीय अंचलाधिकारी/प्र0वि0पदा0	– सदस्य
संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया	– सदस्य

(ग) पूर्व नियत तिथि एवं स्थान पर लॉटरी की कारवाई उपस्थित आवेदनकर्ताओं तथा उक्त समिति के समक्ष की जायेगी।

(घ) संबंधित क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता हर 3 वर्षो के अंतराल पर ऐसी नहर चाट/भूमि की बंदोबस्ती के लिए सूचना अपने सूचना पट के साथ–साथ संबंधित थाना कार्यालय, संबंधित अंचलाधिकारी के कार्यालय एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर तथा उसे उस वर्ष के 15 अप्रैल तक स्थानीय हिन्दी समाचार पत्र में भी प्रकाशित करायेंगे। इस सूचना की एक प्रति स्थानीय विधायक एवं स्थानीय सांसद को भी निबंधित डाक से भेजी जाएगी।

3. **बंदोबस्ती की पात्रता:–** बंदोवस्ती के लिए लॉटरी में भाग लेने के लिए निम्नलिखित कोटि के व्यक्ति सक्षम/पात्र होंगे, जो नहर/चाट भूमि की बंदोबस्ती के ग्राम के अथवा उसके तीन मील की परिधि के भीतर के पड़ोसी ग्राम के निवासी हों। बदोबस्ती हेतु लॉटरी में उन्हें निम्न क्रम से प्राथमिकता दी जायेगी–

(क) भूमिहीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य

(ख) अन्य कोटि के भूमिहीन सदस्य

(ग) वैसे अवकाश प्राप्त सैनिक/शहीद सैनिक की विधवा अथवा उत्तराधिकारी जो भूमिहीन हो।

4. <u>अन्य अध्यपेक्षाएँ</u>:--

(I) किसी भी सक्षम/पात्र व्यक्ति/परिवार जिन्हें लॉटरी के आधार पर एक बार नहर चाट/भूमि की बंदोबस्ती की गयी हो वे पुनः तुरंत बाद वाली बंदोबस्ती के लॉटरी में भाग लेने के लिए हकदार नहीं होंगे। हालांकि ऐसा वर्जन पश्चात्वर्ती बंदोबस्ती पर लागू नहीं होगा।

(II) बंदोबस्ती हेतु लॉटरी के माध्यम से भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को पूर्व नियत लगान का 10 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में लॉटरी की तिथि के एक दिन पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता/अवर प्रमंडल पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। सफल व्यक्तियों को लॉटरी की तिथि के अगले तीन दिनों के भीतर **(अग्रधन सहित)** कुल लगान की राशि का 50% तथा अवशेष 50% राशि 15 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। समय पर ऐसी राशि जमा करने में असफल रहने पर अग्रधन की राशि समपहृत कर ली जायेगी। कुल लगान की राशि जमा करते समय अग्रधन की राशि को भुगतेय लगान के विरूद्ध समायोजित कर दिया जायेगा। असफल व्यक्त्यिों की अग्रधन राशि लॉटरी के तुरंत बाद उन्हें वापस कर दी जायेगी।

(III) किसी पात्र व्यक्ति को अधिकतम दो एकड़ तक भूमि बंदोवस्ती की जायेगी। किसी विवाद की दशा में संबंधित अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता के द्वारा बंदोबस्ती नहीं हो सके तो विभाग के स्तर पर इसका विनिश्चय किया जायेगा।

(IV) यदि भूमि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में हो तथा जहाँ बंदोवस्ती में किसी घटना का पूर्व इतिहास हो, तो संबंधित मुख्य अभियंता, विभाग को उसके बारे में पूर्ण विवरण उपलब्ध करायेगा एवं उस विशिष्ट क्षेत्र में भूमि को बंदोबस्ती की व्यवस्था स्थानीय थाना/अंचलाधिकारी/प्र0वि0प0/अनुमंडलाधिकारी/जिला पदाधिकारी के सहयोग से की जायेगी।

5. <u>नहर चाट/भूमि का प्रभार्य लगान का दर अवधारण</u>:– बंदोबस्ती के लिये कर्णांकित सभी नहर चाट/भूमि की बंदोबस्ती के लिये लगान की दर का अवधारण/पुनरीक्षण विभागीय अधिसूचना संख्या 422 दिनांक 29.06.07 द्वारा नियत आधार दर में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के आधार पर किया जायेगा।

6. <u>निरसन</u>– इस नियमावली के आरंभ की तिथि से जल संसाधन विभाग की अधिसूचना सं0 21/वाद–8–01/2006–426 दिनांक 05.07.07 द्वारा निर्गत "बिहार नहर चाट/भूमि बंदोबस्ती नियमावली 2007" निरसित समझी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अजय नायक)
सरकार के सचिव

9/8/10

ज्ञापांक 21/वाद 08.01/2006 276 / पटना दिनांक 13.7.2010 /

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि उक्त असाधारण अंक की 500 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(अजय नायक) 9/7/10
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक 21/वाद 08.01/2006 276 / पटना दिनांक 13.7.2010 /

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ सचिव, विधि विभाग/ विशेष सचिव/ सभी संयुक्त सचिव/ निदेशक भू–अर्जन एवं पुनर्वास/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी अभियंता प्रमुख/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग अपने अधीनस्थ के सभी कार्यालयों में इसे तुरंत परिचारित कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अजय नायक) 9/7/10
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग ।

अधिसूचना

सं0सं0-21/ वाद-8.01.2006- 422 पटना, दिनांक- 29.6.2007

जल संसाधन विभाग विभागीय पत्र संख्या-773 दिनांक 06.04.2002 द्वारा नहर चाट/ भूमि एक फसली का बन्दोवस्ती का न्यूनतम दर रू0 800/- प्रति एकड़/ प्रतिवर्ष तथा दो फसली चाट/ भूमि का रू0 1000/- प्रति एकड़/ प्रतिवर्ष न्यूनतम दर निर्धारित है । सम्यक् विचारोपरान्त सरकार ने उक्त एक फसली चाट/ भूमि का रू0 1000/- (एक हजार) तथा दो फसली चाट/ भूमि का दर 1250/- (एक हजार दो सौ पचास) प्रति एकड़/ प्रतिवर्ष बन्दोवस्ती का न्यूनतम दर निर्धारित करने का निर्णय लिया है ।

आगामी बन्दोवस्ती की तिथि से उक्त दर प्रभावी होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अशोक कुमार सिन्हा)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 21/ वाद-08-01/ 2006- 422 पटना, दिनांक- 29.6.2007

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/ महालेखाकार बिहार, पटना/ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ जल संसाधन विभाग/ सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ विधि एवं न्याय विभाग/ अपर सचिव/ सभी संयुक्त सचिव/ निदेशक, भू-अर्जन एवं पूनर्वास/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना/ सभी अभियंता प्रमुख/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों में इसे परिचारित करना सुनिश्चित करेंगे ।

(अशोक कुमार सिन्हा)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

GOVT. OF BIHAR
WATER RESOURCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

S.O. No.-21/Wad-8-01/2006...276......... Patna, Dated 13.7.2010

In exercise of the powers conferred by Article 162 of the constitution of India, the State Govt. of Bihar makes the following Rules, to provide provision for the settlement of canal chat/land of Water Resource Department for agricultural purposes.

The Bihar canal chat/land settlement Rules 2010

1. **Short title, extent and commencement**-
   - (I) These Rules may be called "The Bihar Canal Chat/Land Settlement Rules 2010".
   - (II) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   - (III) It shall come in to force at once.
2. **Procedure of Settlement** :-
   - (A) The settlement of Canal Chat/Land will be made by a duly constituted committee for a period of three years on a fixed rent, by adopting a method of lottery.
   - (B) The members of the lottery committee will be as follows:

(I)	The concerned Executive Engineer	**Chairman**
(II)	The Circle officer/The B.D.O. Of the area	**Member**
(III)	The Mukhiya of the concerned Gram Panchayat	**Member**

   - (C) The Lottery for the purpose of Settlement will be opened on the prefixed date and place before the aforesaid committee & the applicants present.
   - (D) The Executive Engineer of the area on an interval of 3 years, will publish a notice for the settlement of such Canal Chat/Land on his office Notice Board as well as on the Notice Board of the concerned Police Station/Office of the Circle Officer and the Office of the Sub-Divisional Magistrate, while also publishing the same in the local Hindi News-Paper latest by 15th April of that year. A copy of this notice will also be sent to the local M.L.A. & the local M.P. separately through registered posts.

3. **Persons eligible for Settlement** :-

Following categories of persons, who are residents of the concerned village or neighbouring villages within a radius of three miles where Canal Chat/Land is to be settled, shall be eligible/competent to participate in the Lottery, starting in order of preference given below:-

(a) Landless members of Scheduled castes/Scheduled tribes

(b) Landless members of other categories

(c) Such retired Soldier/widows or dependents of martyrs who are landless.

4. **Other Requirements** :-

(i) Any competent/eligible person/family to whom once the Canal Chat/Land has been settled, will not be entitled to participate in the lottery for the immediate next settlement. However, no such bar would be operative on subsequent settlements.

(ii) For participating in settlement through lottery it shall be essential for the willing persons to deposit an amount of 10% of the pre-fixed rent as earnest money, in the office of the concerned Executive Engineer/Sub-divisional Officer, Water Resource Department, latest by but not later than one day before the date of the lottery. Successful person (s) shall have to deposit 50% of total rent amount so fixed (including the earnest money) within 3 days of the lottery and the rest 50% will be deposited within 15 days from the date of lottery. Failure to deposit such amount in time will lead to forfeiture of the earnest money. The earnest money shall be adjusted against the payable rent at the time of depositing the full rent amount. The earnest money of unsuccessful persons shall be refunded to them soon after the lottery.

(iii) A maximum of up to 2 Acres of land shall be settled to any eligible person. In case of a dispute which can not be settled by the Superintending Engineer/Chief Engineer concerned, it will be decided at the level of the department.

(iv) If the land falls in the extremist infested zone and where there is a prior history of any incident in settling the lands, the concerned Chief Engineer, shall provide full details about it to the Department and arrangement for the settlement of land in the particular area will be

made with the co-operation of the local P.S./Circle Officer/B.D.O./Sub-divisional Magistrate/District Magistrate.

5. **Determination of leviable rent of Canal Chat/Land** :-

Rate of rent for settlement of all Canal Chat/Land earmarked for settlement will be determined/revised worked out on the basis of annual increase of 5% over the base rates fixed by the department in the year 2007 vide notification no. 422 dated 29.06.2007.

6. **Repeal-**

"Bihar Chat/Land Settlement Rules 2007" issued by Water Resources Department Notification No. 21/Wad-8-01/2006-426 dated 05.07.2007 shall be deemed to be repealed from the date of commencement of these Rules.

By the order of Governor of Bihar

Ajay Nayak 9/8/10

(Ajay Nayak)
Principal Secretary to Government